श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ जंक्शन

वाहन किराए हेतु निविदा सूचना

संघ को दो वर्ष के लिए प्रबन्ध संचालक कार्यालय हेतु एक केटा वाहन किराए पर लेनी हैं जिसके लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । निविदा प्रपत्र संघ कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन में दिनांक 22–6–2024 को दोपहर 1.00 बजे तक रूपये 236.00 का नकद भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं । पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि रूपये 25000.00 दिनांक 22–6–2024 को बाद दोपहर 3.00 बजे तक संघ कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं जो कि उसी दिन बाद दोपहर 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे । बिना अमानत राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे । वाहन का मॉडल 2021 से पहले का नहीं हो ।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।

प्रबन्ध संचालक

कमांकः गंगमूल:निविदा:2024: 2541-44 दिनांकः 15–6–2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी लेखा/प्रभारी एमआईएस
2. अतिरिक्त निजी सचिव प्रबन्ध संचालक
3. संपादक—————————को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को आप अपने समचार पत्र में शीघ्रातीशीघ्र एक बार संघ के लोगो सहित ————साईज में प्रकाशित करें ।
4. सूचना पट्ट

प्रबन्ध संचालक

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 हनुमानगढ़ जं0
निविदा फार्म (केटा ए सी)

मूल्यः—रू0 200.00 प्लस 18प्रतिशत जीएसटी कुल 236.00 रूपये

फॉर्म सं0:—...................

निविदा देने वाले का पुरा नाम व स्थाई पता ....
....पैन नं0:—......................................

दूरभाष नं0:—...........................

विवरणः—

1. **दर** :— प्रति माह फिक्स

रू0 (अंकों में)......................... शब्दों में ....

2. वाहन का प्रकार ....

3. मॉडल व वाहन संख्या ....

मैं प्रमाणित करता हूँ किः—

मैने निविदा प्रपत्र के साथ वाहन निविदा हेतु अमानत राशि रू0 25000/— रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा करवा दी गई है/डिमांड ड्राफ्ट संख्या ——————————दिनांक————————सलंग्न है ।

समस्त शर्ते मैने पढ़/सुन ली है एवं मुझे मान्य है।

उक्त दर बिना मेंरी कोई शर्ते के मुझे मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 हनुमानगढ़ जं0–335512

निविदा शर्ते

1. बिना अमानत राशि के जमा करवाया गया निविदा प्रपत्र मान्य नही होगा एवं अमानत धरोहर राशि के रूप में जमा रकम पर ब्याज देय नही होगा ।
2. वाहन का मॉडल 2021 या इसके बाद का होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी परमिट होना आवश्यक होगा। राजस्थान राज्य का टैक्स भी जमा होना आवश्यक होगा। वाहन को राजस्थान राज्य से बाहर ले जाने पर अन्य राज्यों में लगने वाले टैक्स आदि का पुनर्भरण संघ द्वारा किया जावेगा। वाहन निविदादाता के स्वयं के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी होगी । यदि कोई निविदादाता नया वाहन क्रय करना चाहता है तो निविदा फार्म के साथ प्रार्थना पत्र सलंग्न करना होगा एवं दर स्वीकृति की दिनांक से एक माह में नया वाहन क्रय कर उसके पंजीयन की प्रति संघ में प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। ठेकेदार के पास स्वयं का पैन नं0 होना आवश्यक है साथ ही ठेकेदार के स्वयं के स्थायी पता के प्रमाण पत्र हेतु जैसेः– फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन नं0 यातायात लाइसैंस आदि की फोटो प्रति संघ में जमा करवानी होगी। निविदा स्वीकृत होने पर एक माह में पंजीकरण प्रमाण पत्र नही दियें जाने की स्थिति मे जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिवस में पैन नम्बर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा भुगतान सम्भव नही होगा।
4. ठेका अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से दो वर्ष तक मान्य होगी । इसके उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति से आर टी पी पी एक्ट के अनुसार बढाया सकता है ।

5 निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नही करने पर अमानत राशि जब्त कर किसी अन्य को ठेका दिया जा सकेगा।

6 ठेका समाप्त होने पर बकाया नही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अन्तिम बिल का भुगतान व धरोहर राशि लौटाई जावेगी।

7 ठेकेदार के किसी प्रकार की वसूलियों को ठेकेदार के बकाया बिल से या धरोहर राशि/सम्पत्तियों से वसूल करने का पूर्ण अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार के कर्मचारी या प्रतिनिधि द्वारा की गई गलती हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

8. अगर ठेकेदार द्वारा ठेका बीच में छोड़ दिया जाता है तो धरोहर राशि एवं संघ में बकाया अन्य राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. कार्यालय की बिना अनुमति के ठेकेदार अपना ठेका दूसरे ठेकेदार को ट्रांर्सफर नही कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों मे स्वीकृति उपरान्त ठेका 2,000.00 रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर ही स्थानांन्तरित किया जा सकेगा।
10. निविदा प्रपत्र के साथ 25,000.00 रूपये (पचीस हजार रूपये) अमानत राशि संघ मे जमा करवानी होगी। निविदा स्वीकृत होनें के पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व रूप्ये 25000.00 की राशि संघ में जमा करवानी होगी । इस प्रकार ठेकेदार की कुल राशि रूप्ये 50000.00 धरोहर राशि के रूप में संघ में जमा रहेगी ।
11. वाहन ठेकेदार द्वारा नियुक्त चालक/प्रतिनिधि द्वारा की गई किसी प्रकार की हानि की जुम्मेवारी स्वयं वाहन ठेकेदार की होगी।

12.. वाहन में ईधन की व्यवस्था हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा। ठेकेदार को 15 किलोमीटर पर एक लीटर डीजल की राशि का भुगतान हनुमानगढ में डीजल की दरों पर किया जावेगा । 15 किलोमीटर पर प्रति एक लीटर औसत के आधार पर हनुमानगढ मुख्यालय पर डीजल की दर से वाहन ठेकेदार को संघ में बिल प्रस्तुत करना होगा जिसका संघ द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात ठेकेदार को भुगतान कर दिया जावेगा ।

13. किसी भी शर्त का उल्लघंन या कार्यालय के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार अथवा आदेश की अवेहलना करने पर 1000.00 रूपये तक आर्थिक दण्ड एवं ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।

14 संघ को वाहन की आवश्यकता नही होने पर अनुबंध बीच में निरस्त किया जा सकेगा।

15 दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओं की अमानत राशि रोकी जावेगी एवं प्रबन्ध संचालक न्यूनतम दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नही होगें।

16. ठेकेदार को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा जो कि संघ जो कि 100.00 रूपये जमा करवाकर बनेगा।

17. वाहन का माईलोमीटर सही एवं कार्यशील होना चाहिये।

18. बिना पूर्व सूचना के वाहन निर्धारित समय से लेट लाने की स्थिति में 100.00 रूपये जुर्माना व वाहन न भेजने की स्थिति में 500.00 रूपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जावेगा साथ ही संघ द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था का व्यय भी वाहन ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

19. राजस्थान व अन्य राज्यों में लगने वाले टोल टेक्स के व्यय का बिल (प्रमाण सहित) वाहन ठेकेदार द्वारा सघं में प्रस्तुत करने पर हुए व्यय का पुनर्भुगतान संघ द्वारा वाहन ठेकेदार को कर दिया जावेगा।

20. वाहन ठेकेदार को वाहन का बीमा एवं समस्त वैधानिक औपचारिकताएं समय पर पूर्ण करवाना आवश्यक होगा । बीमा नहीं करवाने पर या अन्य कोई वैधानिक औपचारिकताएं समय पर पूर्ण नहीं करने पर रूपये 500.00 प्रति दिन की शास्ति लगाई जा सकती है । कोई दुघर्टना होती है एवं बीमा एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होने की वजह से संघ या संघ स्टाफ को होने वाली हानि की वसुली ठेकेदार से की जावेगी ।

21. वाहन ठेकेदार को भुगतान हेतु बिल प्रिंटेड स्वीकृत प्रारूप में हर माह में दो बार दिनांक 1 से 15, 16 से 30/31 तक तीन प्रतियेां में निर्धारित समय में देना होगा। 1 से 15 तक की अवधि का डीजल का भुगतान 1 तारीख की डीजल दर से व 16 से 30/31 तक का डीजल का भुगतान 16 तारीख की डीजल की दर से किया जावेगा ।

22. ए0सी0 (एयर कण्डीशन प्रणाली) कार्यरत न होने पर प्रतिदिन 500.00 रू0 का जुर्माना किया जा सकता है।

23. राजस्थान राज्य का रोड़ टेक्स अथवा अन्य वैधानिक खर्च/टेक्स की जिम्मेवारी स्वयं वाहन ठेकेदार की होगी।

24. ठेकेदार के वाहन चालक के पास टैक्सी वाहन चलाने हेतु आवश्यक परमिट वाला लाईसैंस होना आवश्यक है ।

25 ठेकेदार द्वारा अपने वाहन पर वाहन चालक संघ की सहमति से लगाना होगा अन्यथा संघ द्वारा अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

26. ठेकेदार को संघ आवश्यकतानुसार किसी भी समय वाहन उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा शास्ति लगाई जा सकती है । वाहन चालक मुख्यालय पर ही रहना आवश्यक है ताकि आवश्यकता होने पर वाहन को बुलाया जा सके ।

27. दरें स्वीकृत होने पर ठेकेदार को संघ के साथ रूपये 500.00 के नॉन ज्युडिशिल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा ।

निविदादाता का पूरा नाम.................................

स्थाई पता...